

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़ जिला सीकर
(पीठासीन अधिकारी प्रशासन गांवों के संग अभियान) कैम्प.....शुली.....

आदेश

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी चैनपुरा व भूअनि खाता संख्या रिपोर्ट तथा तहसीलदार दांतारामगढ़ / नायब तहसीलदार की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम चैनपुरा प0ह0 चैनपुरा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर की जमाबन्दी सम्वत् २०१६-१७ में खाता संख्या १०८ में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र. सं.	ग्राम / प0ह0	खाता संख्या / खसरा नम्बर	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1	<u>चैनपुरा</u>	<u>खाता संख्या 108</u> <u>खसरा नम्बर -</u> <u>१६८/५५५,</u> <u>१६९/५५५</u> <u>जित - २ कुल रकम</u> <u>२.५०६०</u>	<u>गोपाल पुत्र दास</u> <u>जति - जाट</u>	<u>गोपाल पुत्र दास</u> <u>उर्फ मंडादेव जति</u> <u>खसरा नम्बर</u> <u>आदेश डिप्टी मजिस्ट्रेट</u> <u>श्री जी भागल</u> <u>का एम्पल आदेश</u> <u>न ए ले ५६ का</u>

प्रशासन गांवों के संग अभियान - 2021

राजेश कुमार भीणा
(राजस्थान न्यायालय उपखण्ड अधिकारी) दांतारामगढ़ जिला सीकर

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़ जिला सीकर

दिनांक:- २६/१०/२०२१

क्रमांक / कैम्प / 2021 / २५५

प्रतिलिपि:-

- 1 तहसीलदार, दांतारामगढ़ को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
- 2 प्रार्थी श्री.....को सुचनार्थ।
- 3 रक्षित पत्रावली।

प्रशासन गांवों के संग अभियान - 2021

पीठासीन अधिकारी प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़ जिला सीकर।

राजेश कुमार भीणा
उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ जिला सीकर